



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल ८, २०१६/चैत्र १९, १९३८

No. 861]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938



पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ८ अप्रैल, २०१६

का.आ. 1357(अ).—ठोस अपशिष्ट प्रवंधन नियम, 2015 का प्ररूप भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि.451 (अ) तारीख ३ जून, 2015 को भारत के राजपत्र भाग II, खंड-३, उप खंड (i) में उसी तारीख को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उनसे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवंधन और हथालन) नियम 2000 को अधिकांत करते हुए उक्त अधिसूचना के द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रवंधन नियम, 2015 के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख ३ जून, 2015 को उपलब्ध कराई गई थीं;

निर्धारित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों तथा टिप्पणियों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रवंधन और हथालन) नियम, 2000, उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमणों से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार ठोस अपशिष्टों का प्रवंधन करने के निए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ठोस अपशिष्ट प्रवंधन नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(द) क्रमवर्ती प्रसंस्करण सुविधा या सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधाओं या द्वितीयक भंडारण सुविधा को गैर जैव निर्माणकरणीय अपशिष्ट को परिवहन करना;

(ध) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समय-समय पर यथासंशोधित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार करना;

(न) समुदाय सुविधा के आस-पास दुर्बाध के नियंत्रण और स्वास्थ्य रक्षक स्थितियों के अनुरक्षण के अध्यधीन समुदाय म्तर पर घेरेतू कंपोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन, अपशिष्ट के विकेंद्रित प्रसंस्करण में समुदायों को अंतर्वलित करना;

(प) दो वर्षों के भीतर रासायनिक खाद के उपयोग को चरणवद्ध रूप से समाप्त करना और स्थानीय निकायों द्वारा पर भी ऐसा करना अनौपचारिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र द्वारा की जाने वाली पुनर्चक्रण पहलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं;

(फ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रौद्योगिकियां भी हैं, को अंगीकृत करते हुए और समय-समय पर दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों के उचित उपयोग के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र के महाभागी या किसी अभिकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित अवसंरचना के मन्निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुकर बनाना: परिवहन लागत और पर्यावरणीय आघात को न्यूनतम करने के लिए विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण को अधिमान्यता देना जैसे.-

(क) जैव-मिथैनिकरण, सूक्ष्म जैविक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, अनारोविक डाईजेशन या जैव निर्माणकरणीय-अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य समुचित प्रसंस्करण;

(ख) अपशिष्ट के दहनशील भाग के लिए अवशिष्ट जनित ईधन सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्रक्रियाएं या अपशिष्ट आधारित विद्युत प्लांटों या सीमेंट भट्टियों को फीड स्टॉक के रूप में आपूर्ति;

(व) इन नियमों के अधीन विहित रीति से अवशेष अपशिष्टों के निपटान के लिए अनुसूची-। के अनुसार स्वास्थ्यकर भरण स्थलों और आनुपंगिक अवसंरचना का निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण स्वयं या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से करना;

(भ) वार्षिक बजट में पूंजी निवेश के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए निधियों का पर्याप्त उपबंध करना और यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निकाय के वैवेकिक कृत्यों के लिए निधियां ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा इन नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय के अन्य बाध्यकारी कृत्यों के लिए आवश्यक निधियों की अपेक्षा पूर्ण करने के पश्चात् की आवंटित की जाएं;

(म) प्ररूप-1 में अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन या निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार अनुदल्त करने के लिए आवेदन करना जिसके अंतर्गत यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित प्रतिदिन 5 मीट्रिक टन से अधिक अपशिष्ट हो;

(य) प्राधिकार की विधिमान्यता समाप्त होने से कम से कम साठ दिन पूर्व प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदन करना;

(यक) उत्तरवर्ती वर्ष के 30 अप्रैल या उसके पूर्व आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन को या प्राधिकृत अधिकारी को प्ररूप-4 में वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना;

(यख) वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएँ;

(यग) कार्मिकों जिसके अंतर्गत संविदा कार्मिकों और पर्यवेक्षकों भी है, को पृथक किए गए अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए और प्रसंस्करण या निपटान सुविधा को प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन के दौरान अमिश्रित अपशिष्ट के संबंध में प्रशिक्षण;

(यघ) यह सुनिश्चित करना कि प्रसुविधा का प्रचालक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् वर्दी, प्रदीप्त जैकट, हाथ के दस्ताने, बरसाती, समुचित जूते और मास्क ठोस अपशिष्ट के प्रहस्तन में लगे सभी कार्मिकों को उपलब्ध कराए और कार्यवल द्वारा इनका उपयोग सुनिश्चित किया जाए;

(यड.) किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या मार्केट काम्पलैक्स की निर्माण योजना के अनुमोदन से पूर्व सुनिश्चित करने की भवन योजना में पृथक किए गए अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए;